न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,नागौर

पीठासीन अधिकारी–पीयुष समारिया, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या– 57/2022
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर– 2022/73

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा. लिमिटेड जिसका मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 2–डी एफ एल टॉवर गोपीनाथ मार्ग एम.आई.रोड, जयपुर 302001 में स्थित व कार्यरत है।		1. रामेश्वर लाल माली पुत्र आशुराम माली पता–आकाश्या बेरा की ढाणी, ग्राम बिदीयाद, मकराना, जिला नागौर राजस्थान 2. हरीराम माली पुत्र आशुराम माली पता–आकाश्या बेरा की ढाणी, ग्राम बिदीयाद, मकराना, जिला नागौर राजस्थान 3. हीरालाल माली पुत्र आशुराम माली पता–आकाश्या बेरा की ढाणी, ग्राम बिदीयाद, मकराना, जिला नागौर राजस्थान 4. महेन्द्र कुमार माली पुत्र रामेश्वर लाल माली पता–आकाश्या बेरा की ढाणी, ग्राम बिदीयाद, मकराना, जिला नागौर राजस्थान 5. सुगनी देवी माली पत्नि रामेश्वर लाल माली पता–आकाश्या बेरा की ढाणी, ग्राम बिदीयाद, मकराना, जिला नागौर राजस्थान

आदेश **दिनांकः** 23-03-2022

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ। वकील प्रार्थी श्री मोहम्मद शरीफ को सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैक ने अप्रार्थी/ ऋणी को रूपये **11,00,000/–(अक्षरे ग्यारह लाख रूपये मात्र) ऋण सुविधा दिनांक 31.08.2018** को ऋण उपलब्ध करवाया गया। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में **सम्पति – रामेश्वर लाल माली, हीरालाल माली व हरीराम माली पुत्रान श्री आशुराम माली मालिक सम्पति का आबादी प्लॉट स्थित ग्राम बिदीयाद, ग्राम पंचायत बिदीयाद, पंचायत समिति परबतसर, नागौर, राजस्थान में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एंव ढांचा आदि जो सम्पति के अभिन्न अंग है जिसका माप 6356 वर्ग फीट है। चर्तुसीमा– पूर्व में– रास्ता, पश्चिम में– मोतीराम व मोहन लाल का मकान, उत्तर में– भागीरथ राय का बाडा, दक्षिण में– रास्ता** जो प्रार्थी बैक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एंव जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये।

अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपलब्ध ऋण [illegible] बैंक [illegible] नियमानुसार भुगतान नही चुकाया। जिसकी वजह से उक्त खाते को दिनांक 20.04.20[illegible] को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाते [illegible] 21,49,227/– (अक्षरे इक्कीस लाख [illegible]ास हजार

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2022.06.24 10:54:04 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट * न्यायालय नागौर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट नागौर

दो सौ सताईश रूपये मात्र) दिनांक 24.07.2021 तक शेष व दिनांक 24.07.2021 से आगे का ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि का भुगतान बकाया निकलते हैं।

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक **24.07.2021** को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बंधक शुदा सम्पति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर–अन्दर ऋण राशि **रूपये 21,49,227/–(अक्षरे इक्कीस लाख उनपच्चास हजार दो सौ सताईश रूपये मात्र) दिनांक 24.07.2021 तक शेष व दिनांक 24.07.2021 से आगे का ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि का भुगतान** को जमा कराना था परन्तु ऋणी/अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को बंधक सम्पति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैंक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैंक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से संबंधित डोक्यूमेन्ट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

बैंक सिक्योरिटीज सम्पति का विवरण :– **रामेश्वर लाल माली, हीरालाल माली व हरीराम माली पुत्रान श्री आशुराम माली मालिक सम्पति का आबादी प्लॉट स्थित ग्राम बिदीयाद, ग्राम पंचायत बिदीयाद, पंचायत समिति परबतसर, नागौर, राजस्थान में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एंव ढांचा आदि जो सम्पति के अभिन्न अंग है जिसका माप 6356 वर्ग फीट है। चर्तुसीमा– पूर्व में– रास्ता, पश्चिम में– मोतीराम व मोहन लाल का मकान, उत्तर में– भागीरथ राय का बाडा, दक्षिण में– रास्ता** जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, का कब्जा लेना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डौक्यूमेन्टस का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/अप्रार्थीगण से प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी/अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक से **11,00,000/–(अक्षरे ग्यारह लाख रूपये मात्र) ऋण सुविधा दिनांक 31.08.2018** को प्राप्त की थी। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आडिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार है:– ... आस्थी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये ... या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार ... लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विक्रय या अंतरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2022.06.24 10:54:04 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट नागौर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा,उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा,और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर –(क)उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमो को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय मे आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानो को दृष्टीगत रखते हुए इस संबंध मे पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते हैं । अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक नागौर को निर्देश दिये जाते है कि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष मे बतौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व मे **सम्पति – रामेश्वर लाल माली, हीरालाल माली व हरीराम माली पुत्रान श्री आशुराम माली मालिक सम्पति का आबादी प्लॉट स्थित ग्राम बिदीयाद, ग्राम पंचायत बिदीयाद, पंचायत समिति परबतसर, नागौर, राजस्थान में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एंव ढांचा आदि जो सम्पति के अभिन्न अंग है जिसका माप 6356 वर्ग फीट है। चर्तुसीमा– पूर्व में– रास्ता, पश्चिम में– मोतीराम व मोहन लाल का मकान, उत्तर में– भागीरथ राय का बाडा, दक्षिण में– रास्ता** जो प्रार्थी बैक के पास हाईपोथीकेटेड है, को प्रार्थी बैक के हक मे बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, के संबंध मे संबधित थानाधिकारी, पुलिस थाना को निर्देशित करे कि वे उक्त संपति का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे मे हो तो उन दस्तावेजो को प्रार्थी को संभलाने हेतु मौके पर जाकर विधि सम्मत कार्यवाही करें।

आदेश सुनाया गया।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट नागौर (राज.)

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर एंव मजिस्ट्रेट
नागौर
जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2022.06.24 10:54:04 IST
Reason: SelfAttested